# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक/अन्य राजस्व/2025/15569 दिनांकः– 11/9/25

## ई–नीलामी (हॉर्डिंग जोन संख्या 03) सूचना

नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल (साईज 10x20) पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु जोन 03 (साईट सं 1 से 44 एवं 10 गेन्ट्रीज) के लाईसेंस के लिए अवधि पांच वर्ष के लिए स्वीकृत सूची के अनुसार साईट्स की ई–नीलामी आमंत्रित की जाती है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | न्यूनतम बोली राशि/आरक्षित दर (प्रतिवर्ष हेतु) | 51,86,000/–रूपये |
| 2 | निलामी भागीदारी शुल्क | 1000/– रूपये (ऑनलाईन) |
| 3 | ऑनलाईन पंजीयन शुल्क | 1000/– रूपये (ऑनलाईन) |
| 4 | धरोहर राशि | 5,00,000/– रूपये (ऑनलाईन ) |
| 5 | निलामी भागीदारी एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने की दिनांक | दिनांक 15-09-25 से दिनांक 17-09-25 को सांय 06 बजे तक |
| 6 | धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक | दिनांक 18-09-25 से दिनांक 22-09-25 को सांय 06 बजे तक |
| 7 | बोली प्रारम्भ करने की दिनांक | दिनांक 24-09-25 को प्रातः 11:00 बजे से |
| 8 | बोली समाप्ति की तिथि | दिनांक 24-09-25 सांय 04:00 बजे से लगातार |

नीलामी कार्यक्रम, साईट्स विवरण, नीलामी की शर्तें व अन्य विवरण नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्यदिवस में निगम कार्यालय में अन्य राजस्व अनुभाग व निगम की LSG E-AUCTION PORTAL पर देखी जा सकती है।

1. नीलामी की शर्तों का अवलोकन ऑनलाईन या किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में किया जा सकता है।
2. ईच्छुक नीलामी दाता नीलामी कार्यक्रम में अमानत राशि भागीदारी राशि ई–निविदा बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी वेबसाईट व LSG E-AUCTION PORTAL पर देखी जा सकती है।
3. बोली प्रारंभ होने के उपरांत बोली दिनांक को सांय 04:00 बजे से पहले अंतिम पाँच मिनट में बोली लगने पर बोली अवधि 15 मिनट बढ़ेगी, बढ़ी अवधि के अंतिम पाँच मिनट में पुनः बोली लगने पर पुनः बोली अवधि 15 मिनट बढ़ेगी। इस प्रकार बोली अवधि लगातार बढ़ती रहेगी।
4. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा जानकारी हेतु श्री वरुण प्रताप सिंह भदौरिया, वरिष्ठ सहायक, दूरभाष नं. 9530080150, 9057141007 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम
दिनांक – 11/9/25

क्रमांक – अन्य राजस्व/2025/15570-76
**प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

01. श्रीमान् प्रशासक एवं जिला कलक्टर, बीकानेर।
02. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
03. वित्तीय सलाहकार /सचिव, नगर निगम बीकानेर।
04. उपविधि परामर्शी/राजस्व अधिकारी प्रथम, नगर निगम बीकानेर।
05. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि ई–नीलामी सूचना तथा कार्यक्रम, साईट्स विवरण, नीलामी की शर्तें आदि का नगर निगम की वेबसाईट व LSG-E AUCTION PORTAL पर प्रकाशन करावें।
06. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।
07. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक/अन्य राजस्व/2025/15560 दिनांक:–11/9/25

**ई–नीलामी (हॉर्डिंग जोन संख्या 03) सूचना**

बीकानेर नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल (साईज 10x20) पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु जोन 03 (साईट सं 1 से 44 एवं 10 गेन्ट्रीज ) के लाईसेंस के लिए अवधि पांच वर्ष के लिए स्वीकृत सूची के अनुसार साईट्स की ई–नीलामी आमंत्रित की जाती है। निलामी भागीदारी एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने की दिनांक 15.09.25 से 17.09.25 को सांय 06 बजे तक एवं धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक 18.09.25 से 22.09.25 को सांय 06 बजे तक जमा करवानी होगी। बोली प्रारम्भ करने की दिनांक 24.09.25 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे से लगातार का समय रहेगा। ईच्छुक बोलीदाता नीलामी कार्यक्रम में धरोहर राशि, भागीदारी शुल्क, साईट्स की स्वीकृत सूची, ई–निविदा बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी वेबसाईट व LSG E-AUCTION PORTAL पर देख सकते है।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

**NOT TO BE PUBLISHED**

क्रमांक – अन्य राजस्व/2025/15561-68 दिनांक – 11/9/25

**प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

01. श्रीमान् प्रशासक एवं जिला कलक्टर, बीकानेर।
02. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना का कम से कम स्पेस में नियमानुसार सर्वाधिक प्रसारित होने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार–पत्र (बीकानेर, जयपुर, जोधपुर संस्करण) तथा एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं विपत्र भुगतान हेतु बीकानेर नगर निगम को भिजवाने का श्रम करवायें।
03. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
04. वित्तीय सलाहकार /सचिव, नगर निगम बीकानेर।
05. उपविधि परामर्शी/राजस्व अधिकारी प्रथम, नगर निगम बीकानेर।
06. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि ई–नीलामी सूचना तथा कार्यक्रम, साईट्स विवरण, नीलामी की शर्तें आदि का नगर निगम की वेबसाईट व LSG E-AUCTION PORTAL पर प्रकाशन करावें।
07. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।
08. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org


## यूनिपोल (निगम स्वामित्व) पर विज्ञापन प्रदर्शित (जोन नं.3) करने के लाईसेंस की शर्ते

नगरीय सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल जोन 3 (स्वीकृत सूची एवं नक्शों के अनुसार) की नीलामी एंव लाईसेन्स की शर्ते :–

1. युनिपोल (निगम स्वामित्व) साईट्स के लिए उक्त जोन संख्या 3 में कुल 44 युनिपोल साईट (साईज 20' X 10' फीट) एवं 10 गेन्ट्रीज (Boot आधार पर) की ई–नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

2. ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी सूचना के अनुसार पैन कार्ड व जी.एस.टी. नं. ऑनलाईन LSG E-AUCTION PORTAL पर जमा कराने होंगे व धरोहर राशि पांच लाख रूपये ऑनलाईन अथवा नगर निगम के खाता संख्या 669805601845 IFSC Code ICIC0006698 ICICI Bank पर RTGS के माध्यम से जमा करवानी होगी। RTGS की रसीद / बैंक ACKNOWLEDGEMENT रसीद ऑनलाईन LSG E-AUCTION PORTAL पर अपलोड करनी होगी।

3. इच्छुक बोलीदाता निलामी से पूर्व साईट स्थल एंव शर्तो का अवलोकन कर लेवें, बोली में सम्मलित होने पर बोलीदाता को बोली की समस्त शर्ते व प्रावधान स्वीकार्य है यह माना जायेगा।

4. बोलीदाता द्वारा निलामी में भाग लेने हेतु बिन्दु सं 2 में उल्लेखित दस्तावेजो के साथ शर्तो एवं प्रावधानों को को अपने हस्ताक्षर से स्वीकार कर LSG E-AUCTION PORTAL पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5. नगरीय क्षेत्र में जोन संख्या 3 की निलामी में बोली का आधार एक वर्ष की राशि के आधार पर होगा तथा कुल निलामी अवधि 5 वर्ष के लिये होगी। जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत गत वर्ष की राशि में वृद्धि होगी। उच्चतम अंतिम बोली की प्रथम वर्ष की 25 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति के 02 कार्य दिवस में निगम कोष में जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति के 15 दिवस में निगम में जमा करवानी आवश्यक होगी।

6. सफल बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति के 02 कार्य दिवस में जमा नही करवाने पर बोली निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत राशि बोली स्वीकृति के 15 दिवस में जमा नही करवाने पर धरोहर राशि एवं जमा 25 प्रतिशत जब्त कर बोली निरस्त कर दी जायेगी एवं आगामी बोली से डी–बार किया जायेगा।

7. जोन की साईटस संख्या 44 में कमी एवं वृद्धि होने पर राशि की गणना अनुपातिक आधार पर की जायेगी जिसके संबंध में आयुक्त नगर निगम बीकानेर को निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। गेन्ट्रीज स्थापित किये जाने के स्थान व नक्शा प्रस्तुत करने पर निगम से स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त स्थापित किये जायेगा।

8. सफल बोलीदाता को प्रत्येक वर्ष की ठेका अवधि समाप्त होने से 02 माह पूर्व तक 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित राशि जमा करवानी अनिवार्य है।

9. आगामी वर्ष की राशि 02 माह पूर्व जमा नही करवाने पर प्रथम व अंतिम नोटिस दिया जायेगा। नोटिस उपरान्त देरी से राशि जमा करवाने पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवाई होगी अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10. नगर निगम द्वारा साईट सं. 1 से 34 पर स्थापित यूनीपोल नगर निगम की सम्पत्ति है। नगर निगम बीकानेर द्वारा केवल साईट नीलाम की जा रही है। इस पर विज्ञापन का व्यय अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा। अनुज्ञापत्रधारी इन का विज्ञापन हेतु उपयोग कर सकेगा। नगर निगम की सम्पति यूनिपोल को संवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन हेतु उपयोग में लेने पर नगर निगम को उक्त संरचनाओं के इस्तेमाल के लिये पृथक से किसी प्रकार का किराया/शुल्क देय नही होगा। इन यूनीपोल पर नगर निगम का पूर्णतया/एकान्तिक अधिकार होगा। इन पर संबंधित संवेदक को कोई सम्पति पर इनका कब्जा नगर निगम को स्वतः हस्तांतरित होगा। साईट सं. 35 से 44 पर पूर्व में स्थापित होर्डिंग के स्थान पर संवेदक द्वारा स्वंय के स्तर पर युनिपोल स्थापित करना होगा, जिनका साईज 10X20 फुट होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने पर उक्त समस्त युनिपोल एवं गेन्ट्रीज नगर निगम की सम्पत्ति होगी।

11. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम बीकानेर एवं अन्य सरकारी योजनाओं आदि के विज्ञापन प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा, जिस हेतु विज्ञापन प्रदर्शन की राशि देय नही होगी।

12. सफल बोलीदाता द्वारा प्रतिवर्ष की राशि एक माह पूर्व तक राशि जमा नही करवाने पर फर्म की धरोहर राशि जब्त कर फर्म को डी–बार कर नवीन निलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। संवेदक से संपूर्ण बकाया राशि पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जावेगी एवं ब्लेकलिस्ट करते हुए आगामी बोली से डी–बार किया जायेगा।

13. अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी एंव द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 30 दिवस के पश्चात् ही लौटाई जायेगी। नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

14. सफल बोलीदाता को कार्यादेश दिनांक से 07 दिवस में अनुबंध हेतु निर्धारित राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में समस्त बोली राशि जमा न करवाने व अनुबंध हेतु निर्धारित राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में आयुक्त नगर निगम बीकानेर को ठेका निरस्त करने व बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

15. यदि बोलीदाता विज्ञापन हेतु विद्युत यंत्र उपयोग में लेता है तो बोलीदाता को स्वंय के खर्चे से विद्युत कनैक्शन की व्यवस्था करनी होगी, जो कि अस्थाई कनैक्शन की श्रेणी का माना जावेगा। जिसका भुगतान नियमित रूप से विद्युत विभाग को बोलीदाता द्वारा किया जायेगा। विद्युत बिल भुगतान की एक प्रति भुगतान पश्चात् निगम कार्यालय को प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी, किन्तु निगम की स्थाई सम्पति को किसी भी प्रकार से नुकसान नही पहुंचना चाहिए, इसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निगम किसी भी प्रकार का अतिरिक्त खर्च/व्यय नही करेगा।

16. बोलीदाता को निगम द्वारा सुपुर्द यूनीपोल का रख–रखाव एवं अन्य कोई मरम्मत व सुधार स्वंय अपने खर्चे से करना होगा।

17. सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि में जमा न करवाने पर संवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। संपूर्ण राशि जमा होने पर ही संवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

18. युनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साईट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये युनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एंव जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा।

19. सफल बोलीदाता द्वारा शर्तो की पालना किये बिना युनिपोल नहीं लगायेगा। सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत व्यक्ति ही इस कार्य के लिए अधिकृत होगें। युनिपोल निलामी शर्तो/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा पत्र निरस्त होने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि जब्त की जावेगी। साईट अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से सफल बोलीदाता के युनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

20. ठेका अवधि समाप्ति उपरान्त समस्त युनिपोल वापस सुपुर्द करने का समस्त दायित्व एवं देखरेख का जिम्मा सफल बोलीदाता का होगा तथा निगम को सम्पूर्ण साईट्स सूपुर्द करने के पश्चात ही धरोहर राशि संवेदक को लौटाई जावेगी।

21. युनिपोल पर अश्लील एंव आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जावेगा यदि किया जाता है, तो 3000/– रू. की शास्ति आरोपित करते हुए विज्ञापन को निगम द्वारा हटा दिया जावेगा एंव समस्त प्रकार के खर्चो का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।

22. सफल बोलीदाता को सभी यूनीपोल सिल्वर रंग के कलर करके रखने होंगें, जिनको सही हालत में रखना होगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा निलामी में लिये गये प्रत्येक साईट पर अपने फर्म का नाम एंव साईट संख्या स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करने होगें। ऐसा न करने पर युनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम बीकानेर द्वारा हटाया जा सकेगा एंव लेबर चार्ज सफल बोलीदाता से वसूल किया जावेगा।

23. सफल बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि वह युनिपोल को मजबूती से स्थापित करें, ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में युनिपोल नीचे नहीं गिरे। सफल बोलीदाता द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि युनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व लाईसेन्सधारक का होगा। युनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारक के स्वयं की होगी। नगर निगम बीकानेर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

24. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि सफल बोलीदाता के युनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते है तो सूचना के दो घण्टे के अन्दर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी अन्यथा नगर निगम बीकानेर उस युनिपोल को खड़ा करवाकर, खड़ा करवाने में लगी राशि की वसूली संबंधित संवेदक से करेगी।

25. समय–समय पर राज्य सरकार एंव केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो सफल बोलीदाता को ही जमा करने की जिम्मेदारी होगी।

26. यदि किसी न्यायालय/उच्च अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी आदि के निर्देश के अधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा सफल बोलीदाता को निर्देशानुसार स्वंय के खर्चे पर करना होगा ।

27. यदि कोई युनिपोल जनहित इत्यादि में या यातायात में बाधक होने या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से वापस करने/समायोजन करने की कार्यवाही की जावेगी।

28. इन शर्तो में संशोधन एंव परिवर्तन का अधिकार आयुक्त नगर निगम बीकानेर का होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन सफल बोलीदाता को मान्य होगा।

29. बोली की शर्तो के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय आयुक्त नगर निगम बीकानेर का होगा, जो मान्य होगा।

30. समय–समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों कार्यक्रम आदि के प्रचार–प्रसार हेतु यूनिपोल साईटस की नगर निगम बीकानेर को आवश्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईटस निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी।

31. सफल बोलीदाता उपरोक्त शर्तो की पालना करने के लिये बाध्य होगा एंव किसी भी एंक या अधिक शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सफल बोलीदाता पर प्रत्येक शर्त के उल्लंघन पर 1000/– रूपये प्रति उल्लंघन शास्ति वसूल की जा सकेगी, जो कि एक बारगी में अधिकतम 10,000/– रूपये होगी अथवा आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा बोली निरस्त किया जा सकेगा तथा सफल बोलीदाता की साईट/साईट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।

32. सफल बोलीदाता नगर पालिका अधिनियम 2009 माननीय न्यायालयो, विज्ञापन उपविधियो के प्रावधानो, लाईसेंस की शर्तो एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी बीकानेर नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशो एवं निर्देशो की पालना करने के लिए बाध्य होगा। इनका उल्लंघन पाऐ जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर ठेके के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साईट अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से सफल बोलीदाता के यूनीपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

33. विवाद की स्थिति होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम मान्य होगा। न्यायिक क्षेत्र बीकानेर शहर होगा।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **प्रभारी अधिकारी**<br>**अन्य राजस्व** | **सहा. लेखाधिकारी**<br>**प्रथम** | **वित्तिय सलाहकार**<br>**बीकानेर नगर निगम** | **उपविधि परामर्शी**<br>**बीकानेर नगर निगम** | **आयुक्त**<br>**बीकानेर नगर निगम** |

उपरोक्त समस्त शर्तो एवं प्रावधानों का अध्ययन कर लिया गया है, समस्त शर्ते के प्रावधान स्वीकार है।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**

# बीकानेर नगर निगम

एक कदम स्वच्छता की ओर

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

## विज्ञापन प्रदर्शन जोन तृतीय साईट्स विवरण

| क्रम सं. | स्थान | साईट संख्या | संख्या | साईज |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ambedkar Circle | 1 | 1 | 20X10 |
| 2. | Jaipur Road By Pass | 2 | 1 | 20X10 |
| 3. | Jaipur Road Near Haldi Ram Pyau S. No. 1 | 3 | 1 | 20X10 |
| 4. | Jaipur Road Near Haldi Ram Pyau S. No. 2 | 4 | 1 | 20X10 |
| 5. | Major Puran Singh Circle, Towards Panchshati Circle | 5 | 1 | 20X10 |
| 6. | Major Puran Singh Circle, Towards Panchshati Civil Line | 6 | 1 | 20X10 |
| 7. | Medical college s. no. 1 | 7 | 1 | 20X10 |
| 8. | Medical college s. no. 2 | 8 | 1 | 20X10 |
| 9. | Near eye hospital medical college road | 9 | 1 | 20X10 |
| 10. | Museum circle towards bharman path s-no | 10 | 1 | 20X10 |
| 11. | Museum circle towards tesitori park | 11 | 1 | 20X10 |
| 12. | Near public park gate opp junagarh fort s. no. 1 | 12 | 1 | 20X10 |
| 13 | Near public park gate app junagarh fort s. no. 2 | 13 | 1 | 20X10 |
| 14. | sadul singh circle KEM road | 14 | 1 | 20X10 |
| 15. | Deen dayal upadhay circle urmal circle s. no. 1 | 15 | 1 | 20X10 |
| 16. | Urmal circle jaisalmer road s. no. 1 | 16 | 1 | 20X10 |
| 17. | Urmal circle jaisalmer road s. no. 2 | 17 | 1 | 20X10 |
| 18. | Urmal circle towards tirthamb road | 18 | 1 | 20X10 |
| 19. | Near veer durgadas circle | 19 | 1 | 20x10 |
| 20. | Science park vyas colony circle s. no. 1 | 20 | 1 | 20x10 |
| 21. | Science park vyas colony circle s. no. 2 | 21 | 1 | 20x10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Ganganagar circle | 22 | 1 | 20x10 |
| 23. | Deen dayaal circle | 23 | 1 | 20x10 |
| 24. | Goga gate dhalan opp hyndai showroom | 24 | 1 | 20x10 |
| 25. | Rajkiya fort school station road | 25 | 1 | 20x10 |
| 26. | Vyas colony circle | 26 | 1 | 20x10 |
| 27. | Haldiram pyau | 27 | 1 | 20x10 |
| 28. | Opp chain singh stadium ganganagar road | 28 | 1 | 20x10 |
| 29. | Opp central jail road ganganagar highway | 29 | 1 | 40x10 |
| 30. | Out side medical ground pawanpuri | 30 | 1 | 40x10 |
| 31- | Majar purn singh circle | 31 | 1 | 40x10 |
| 32. | Opp M. N. hospital | 32 | 1 | 40x10 |
| 33. | Near police line campus, near rob, gajner road | 33 | 1 | 40x10 |
| 34. | Tirth stambh circle ganganagar road | 34 | 1 | 20x10 |
| 35. | Tirth stambh circle | 35 | 1 | 20x10 |
| 36. | Pugal phanta | 36 | 1 | 20x10 |
| 37. | Karni singh circle | 37 | 1 | 20x10 |
| 38. | Opp PBM hospital | 38 | 1 | 20x10 |
| 39. | Outside PBM hospital | 39 | 1 | 20x10 |
| 40- | Outside gangashehar roadways bus stand | 40 | 1 | 20x10 |
| 41. | Museum circle | 41 | 1 | 20x10 |
| 42. | Major purnsingh circle | 42 | 1 | 20x10 |
| 43. | Tulsi circle | 43 | 1 | 20x10 |
| 44. | Mahaveer chowk gangashehar | 44 | 1 | 20x10 |

प्रभारी अधिकारी
अन्य राजस्व
बीकानेर नगर निगम

वित्तिय सलाहकार
बीकानेर नगर निगम

उपविधि परामर्शी
बीकानेर नगर निगम

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम